

सामान्य निर्देश (शैक्षिक संवर्ग)

1. रिक्तियों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर घट-बढ़ सकती है। नियुक्तियों का स्वरूप पूर्णतया अनुबन्ध आधारित होगा।
2. शैक्षिक संवर्ग के पदों के आरक्षण की व्यवस्था डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 व प्रथम परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार होगी। विकलांगजन को भी नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. विज्ञापित पदों की अर्हताएं उच्च शिक्षा, उ० प्र०, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय पुनर्वास परिषद् व अन्य सम्बन्धित शीर्ष संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय के मापदण्डों के अनुसार परिवर्तनीय होंगे।
4. वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निर्धारित आवेदन-पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। **Online** आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाएंगे। अधूरे तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. **आवेदन शुल्क –**

शैक्षिक संवर्ग के आवेदन-पत्र के साथ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹ 2000.00 व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹ 1000.00 का शुल्क देय होगा।

आवेदन शुल्क जमा करने का माध्यम—

RTGS/NEFT के माध्यम से	अथवा	डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मोहान रोड, लखनऊ, उ० प्र०। खाता धारक: डॉ० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। बचत खाता सं० 36510100000025 IFSC Code BARB0MOHAAN ↓ Zero बैंक में जमा किये गये शुल्क की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।		राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो "वित्त अधिकारी, डॉ० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पक्ष में लखनऊ" में देय हो, संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम तथा पता अवश्य अंकित करें।

6. इस विज्ञापन के सम्बन्ध में सभी सूचनाएं तथा इन पदों पर आयोजित होने वाले साक्षात्कार/परिणाम आदि की समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सम्बन्ध में अलग से सूचनाएँ प्रकाशित नहीं की जायेंगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अनिवार्य अर्हता के प्राप्तांक ग्रेड पॉइन्ट में दिये गये हैं, वे कुलसचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ग्रेड पॉइन्ट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइन्ट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (Formula) का उल्लेख हो।
8. जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख आवेदन-पत्र में अवश्य करें।
9. प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन-पत्र (निर्धारित शुल्क एवं संलग्नकों सहित) प्रस्तुत करना होगा तथा एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र मान्य है। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
10. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:—
 - (क) नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन-पत्र में चस्पा जाय।
 - (ख) अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता लिखा 10 X 25 सेमी. के आकार के रु० 40.00 के डाक टिकट लगे दो लिफाफे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें।
 - (ग) आवेदन-पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र व अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाएँ।
 - (घ) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है। साथ ही नियमानुसार विधिमान्य आरक्षण प्रमाण-पत्र ही लगाएँ)

11. आवेदन-पत्र प्रेषित करने से पूर्व लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाए जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

आवेदित पद का नाम :	डाक टिकट
सेवा में, कुलसचिव, डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ। पिन – 226 017	
प्रेषक :	
दूरभाष नं०/मोबाइल नं० : (अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये)	

12. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
13. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन-पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होगा।
14. अभ्यर्थी के अर्ह एवं अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपकी पात्रता को सुनिश्चित नहीं करेगी। शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा जो कि समस्त अभ्यर्थियों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।
15. उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। वे सामान्य अभ्यर्थियों के समतुल्य माने जायेंगे।
16. सभी प्रकार के विवादों का निपटारा सिर्फ जनपद लखनऊ न्यायालय में ही मान्य होगा।
17. विश्वविद्यालय के अधीन विज्ञापित शैक्षिक संवर्ग/गैर-शैक्षिक संवर्ग के पदों हेतु आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

उपरोक्त पदों के लिये विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन-पत्र पर ही समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 18 अप्रैल, 2022 को सायं 5.00 बजे तक कुलसचिव, डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ, पिन –226 017 को प्राप्त हो जाएं।

कुलसचिव,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।